



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 7401/33/2018/चयन

इन्दौर दिनांक 25 जुलाई, 2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा – 2017

चयन – सूची

पदनाम – सहायक प्राध्यापक, सांख्यिकी

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07/2017/दिनांक 12.12.2017 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के सन्दर्भ में आयोजित सहायक प्राध्यापक ऑनलाईन परीक्षा – 2017 के तहत उच्च शिक्षा विभाग एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के अंतर्गत पदनाम – सहायक प्राध्यापक, सांख्यिकी के निम्नांकित तालिका में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 30 जून, 2018 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक + अतिथि विद्वान को देय वरीयता अंकों के योग के गुणानुक्रम में से प्राप्त अग्रमान्यता के आधार पर पदवार चयन सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है :-

1 सहायक प्राध्यापक, सांख्यिकी (उच्च शिक्षा विभाग के लिए)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	0	1	2	2	5
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	0	0	1	1	
कुल पदों में से अस्थिबाधित निःशक्तजन के लिये आरक्षित पद					1

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	1009626	DR UANNATI BHAYARE	F	OBCF	OBC
2	1011628	NARENDRA SINGH THAKUR	M	OBC	OBC
3	1011278	ARPITA LAKHRE	F	SC	SC

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	1006946	RAJESH KUMAR PARMAR	M	OBC
2	1008391	JUGAL KISHORE RATHORE	M	OBC

टीप :-

- म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हो" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।

25/7/18

25-07-18

25/7

25-07-18

25/7

2. महिलाओं/निःशक्तजनों के आरक्षित पदों पर चयन की प्रक्रिया म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संपादित की गई है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

4. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित जानकारी को शत-प्रतिशत सही मानते हुए एवं उसके आधार पर ही, लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों + अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंकों के योग की मेरिट आधार पर चयन परिणाम तैयार किया गया है। जारी किया गया चयन परिणाम निम्नांकित कंडिका के अध्यक्षीन समस्त शर्तों को पूर्ण करने पर ही मान्य रहेगा, आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करने की स्थिति में स्वतः ही आवेदक की चयन की अधिकारिता विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी -

(1) चयन सूची की अनुशंसा विभाग को इस शर्त के साथ अग्रेषित की जावेगी कि विभाग चयन सूची में चयनित मुख्य सूची/अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक अर्हता/पात्रता की समस्त शर्तें एवं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई प्रविष्टियां शत-प्रतिशत सही है अथवा नहीं, आवेदक के मूल अभिलेखों से सूक्ष्मता से मिलान/सत्यापन कार्य पूर्ण कराकर समुचित पुष्टि उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) आयोग द्वारा की जा रही सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया में शासन निर्देशानुसार साक्षात्कार को विलोपित किया गया है। अतः चयनित किये समस्त आवेदकों के नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से समस्त आवेदकों की अर्हताएं विज्ञापन में विज्ञापित वर्णित व्यवस्था अनुसार जाँच की जावेगी, जाँच उपरांत ही विभाग द्वारा आवेदकों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर सकेंगे। चयनित आवेदकों में से यदि किसी आवेदक की अर्हताएं विज्ञापन अनुसार पूर्ण नहीं होती है, तो विभाग अपने स्तर पर नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही सम्पादित कर आयोग को भी अवगत करायेगें।

- 5 उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल विज्ञापित 05 पदों में से अ.ज.जा. वर्ग हेतु विज्ञापित 02 पद (01 अ.ज.जा. एवं 01 अ.ज.जा. महिला वर्ग हेतु) आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण यह पद रिक्त रखे गये हैं। 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है परन्तु इस वर्ग का आवेदक उपलब्ध नहीं है। शासन नियमानुसार यदि निःशक्तजनों के आरक्षित पद हेतु आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे रिक्त पदों को अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों से रिक्त रखे जायेगें परन्तु अनारक्षित के कोई पद विज्ञापित नहीं होने के कारण किसी भी पद में से निःशक्तजन हेतु पद रिक्त नहीं रखा गया है। इसी प्रकार डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के लिए भी सहायक प्राध्यापक, सांख्यिकी का 01 पद (अ.ज.जा. वर्ग हेतु) विज्ञापित किया गया है उक्त अ.ज.जा. वर्ग का पद आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण यह पद रिक्त रहा है।

25/7/18

25/7

25-07-18

(रेनु पन्त)

सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर